

फार्म
अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2016

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016
 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम अवधेश कुमार डूबे 2. वर्तमान धारित पद अतिरिक्त पाठन श्रेणी 3. कार्यालय का पूरा नाम कार्यालय - मु. ई. (डोकपार मैट), म. प्र. पा. सं. के. वि. अ. सं.
 4. वर्तमान वेतन 46340/+ DA 5. भविष्य निधि क्रमांक 21980304 कर्मचारी संख्या 89970048

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो। | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी / कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया 'खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|-----------------------|------------------|
| | गृह तथा अन्य मवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1) <u>अजयपुर</u> | <u>पत्तरे</u> | <u>-</u> | <u>35,00,200/-</u> | <u>स्वयं के नाम पर</u> | <u>स्टेट बैंक आफ इंडिया से लोन ले कर 2007</u> | <u>निरले</u> | <u>-</u> |
| 2) <u>रायपुर</u> | <u>-</u> | <u>प्लॉट 30'x50'</u> | <u>10,00,000/-</u> | <u>पत्नि श्रीमति शोभा कुमारी</u> | <u>स्वयं की सचतसे सन 1981 में खरीदा - 2007</u> | <u>निरले</u> | <u>-</u> |
| 3) <u>मण्डला</u> | <u>-</u> | <u>प्लॉट - 30'x50'</u> | <u>5,00,000/-</u> | <u>स्वयं के नाम पर</u> | <u>1995-96</u> | <u>निरले</u> | <u>-</u> |
| 4) <u>ग्राम अजयपुर सि. मण्डला</u> | <u>-</u> | <u>कॉम्प्लेक्स 25'x35'</u> | <u>10,00,000/-</u> | <u>पत्नि श्रीमति शोभा कुमारी के नाम पर</u> | <u>1995-96</u> | <u>50,000/-</u> | <u>अभियुक्ति</u> |

हस्ताक्षर अवधेश कुमार डूबे
 नाम अवधेश कुमार डूबे
 पद अतिरिक्त पाठन श्रेणी

जहाँ लागू न हो काट दीजिये।
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
 ... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी- मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासित में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।